तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 5670 / 2021 / जयपुर** **झूथाराम बनाम गणपतलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 15.05.2025

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त, जयपुर की अपील सं0 133/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12–07–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थी गणपतलाल पुत्र शंकरलाल का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर उन्हें प्रकरण में बतौर रेस्पो0 संयोजित किया गया है।

2– विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये हैं कि संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश एक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया और अब अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा उक्त आराजी का बेचान भी कर दिया तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–06–2016 स्वतः ही निरस्तनीय हो गया। उसके बावजूद भी तहसीलदार, चौमू द्वारा तोड़ मरोड़कर प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 5670 / 2021 / जयपुर** **झूथाराम बनाम गणपतलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	

को स्वीकार कर लिया जो कि नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश से स्वीकार करने में विधिक भूल कारित की है।

इसके साथ ही दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 12–07–2021 को निरस्त करते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रकरण को अनावश्यक रूप से देरी करना चाहते हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 सही स्वीकार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

5– सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक एवं समुचित होने से निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 3 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम नांगरकला, तहसील पटवार हल्का धोबलाई, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता सं0 111 में वर्णितानुसार खसरा नं0 860 रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी–III, खसरा नं0 861/1385 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी–III कुल किता 02 का कुल रकबा 0.79 है0 आराजी संपूर्ण की अप्रार्थी सं0 3 राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 5670 / 2021 / जयपुर** **झूथाराम बनाम गणपतलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नांगलकला में प्रस्तुत हुई। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15–06–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें दौराने अपील अप्रार्थी गणपतलाल पुत्र शंकरलाल अहीर निवासी नांगलकला द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित दिनांक 12–07–2021 से स्वीकार किया जाकर उन्हें प्रकरण में बतौर रेस्पो0 संयोजित किया गया।

8– प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय की गई है। जिसके आधार पर ही अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 सद्भावी क्रेता होने व वादग्रस्त अराजी में हित निहित होने से स्वीकार किया गया है। हमारे विनम्र मतानुसार प्रकरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त अनुसार सभी पक्षकारान को सुनकर न्याय किये जाने के मूल आधार पर न्यायहित में आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायहित में विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी **खारिज** की जाती है। संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 12–07–2021 को यथावत् रखा जाता है।

10– अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य